<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सं. - 759/2021

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

कमलसिंह पुत्र रंगलाल, निवासी-देहरा, पुलिस थाना राजगढ़ जिला राजगढ़ एमपी

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थितिः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री दुर्गाशंकर गोयल, श्री अश्विनी कुमार मेवाड़ा विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः-13-03-2026

01-. थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा, झालावाड की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए न्यायालय हाजा में दिनांक 21-10-2021 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 08-01-2021 को छोटूलाल हैड कानि. ने मय जाप्ता दौराने गश्त मौजा ग्राम ल्हास के पास आम रोड़ पर दौराने नाकाबन्दी पिकअप संख्या एम.पी. 39 जी 2991 को रोककर चैक करने पर उसमें से 5 गोवंश अवैध रूप से ठूंस ठूंसकर भरे हुये बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन करते हुये पाये गये। पिकअप के अंदर चैकिंग में पिकअप के वाहन संबंधित, वाहन स्वामी, चालक से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले जिस पर उक्त गोवंश को व वाहन को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया।, इत्यादि।

03- वापसी पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 11/2021 अन्तर्गत धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्त को धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 लालाराम, पी.डब्ल्यू. 02 छोटूलाल, पी.डब्ल्यू. 03 महावीर, पी.डब्ल्यू. 04 डॉ. नीता, पी.डब्ल्यू.

05 लक्ष्मीनारायण, पी.डब्ल्यू. 06 कमलसिंह, पी.डब्ल्यू. 07 रामसिंह को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 11 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- अभियोजन साक्ष्य बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है, समस्त साक्षीगण एक ही विभाग के हैं। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त किसी भी प्रकार से घटना में लिप्त नहीं है और न ही उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य है। उसे मिथ्या संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 08-01-2021 को समय 01.30 पी.एम. के लगभग मौजा ल्हास के पास आम रोड पर, श्री छोटूलाल हैड कानि. ने मय जाप्ता दौराने नाकाबन्दी अभियुक्त के कब्जेशुदा पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या एम.पी 39 जी 2991 के अन्दर 5 गोवंश बछड़े क्षमता से अधिक ठसाठस भरी हुई बरामद की, को अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञापत्र के वध के प्रयोजन से परिवहन कर ले जाया जा रहा था तथा धोखाधड़ी करने के आशय से कपटपूर्वक स्वयं के स्वामित्वशुदा वाहन बोलेरो पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी 39 जी 2987 थे, पर छल करने के प्रयोजन से अन्य बोलेरो पिकअप वाहन की नंबर प्लेट एम.पी 39 जी 2991 जो कि रामसिंह के नाम पंजीकृत थी, को लगाकर चलाया जा रहा था व उक्त वाहन बोलेरो पिकअप पर, रामसिंह के नाम जारी पंजीकरण संख्या एम.पी 39 जी 2991 की नंबर प्लेट लगाकर उसमें गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, उक्त नंबर प्लेट को ऐसी रिति से उपयोग में लाया गया जो युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित थी कि उससे यह विश्वास हो जाए कि यह वाहन रामसिंह का था जो कि उसका नहीं था तथा रजिस्ट्रेशन नंबर एम.पी 30 जी 2991 का जो रामसिंह के नाम पंजीकृत था, कूटकरण कर

स्वयं के वाहन बोलेरो पिकअप पर लगाकर स्वयं के वाहन को चलाया जा रहा था। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहान परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू. 01 लालाराम है। उक्त गवाह मुल्जिम कमलसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 01 का गवाह है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि प्रकरण दर्ज होने के करीब डेढ़ माह बाद मुल्जिम कमलसिंह को गिरफ्तार किया था। मुल्जिम से जप्त आरसी मुल्जिम के पेंट की जेब में थे। कौनसी जेब में आरसी रखी हुई थी यह फर्द प्रदर्श पी. 02 में लिखा हुआ नहीं है। मुल्जिम की गिरफ्तारी व जप्ती में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। किसी भी फर्द जप्ती रजि. के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया था। जो गवाह है वो पुलिसकर्मी ही है।

12- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 छोटूलाल है, जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 03, नक्शा मौका प्रदर्श पी. 04, फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 06 व जप्तीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 07 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि पिकअप के पीछे जय जवान जय किसान लिखा हुआ था कौनसे रंग का लिखा हुआ था, याद नहीं है। उस पिकअप के चेचिस नंबर व इंजन नंबर याद नहीं है। फर्द जप्ती उसकी हस्तकलमी है। फर्द जप्ती पर उसके हाथ से ओवरराईटिंग हो रखा था जो उसने बाद में सुधार दी थी। यदि पिकअप में भरे हुए बछड़ों को अपने घर खेतीबाड़ी के काम हेतु ले जा रहा हो तो वह नहीं बता सकता। यह वह नहीं बता सकता कि उन बछड़ों का मालिक कौन था।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 03 महावीर है, जो कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 03 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मुखबिर की सूचना के आधार पर चैकिंग के लिए घटनास्थल पर नहीं गए थे। वह यह नहीं बता सकता कि जो व्यक्ति भगा उसने कौनसे कपड़े पहन रखे थे व उसकी लंबाई क्या थी। पिकअप में पांच बछड़े जो कि लगभग दो वर्ष करीबन के थे। उन बछड़ों में से दो बछड़े सफेद कलर के तथा तीन बछड़े हल्के लाल कलर के थे। यदि पिकअप में भरे हुए बछड़ों को अपने घर खेतीबाड़ी के काम हेतु ले जा रहा हो तो वह नहीं बता सकता। वह यह नहीं बता सकता कि बछड़ों का मालिक कौन था।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 डॉ. नीता रघुवंशी है, जिसके द्वारा थाना अकलेरा के प्रतिवेदन प्रकरण में जप्तशुदा पांच नर गोवंश का चिकित्सकीय परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 09 तैयार कर थाना घाटोली को भिजवाई थी। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि किसी भी गोवंश के कोई जाहिरा चोट नहीं थी। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 लक्ष्मीनारायण है जो कि फर्द सुपुर्दगी बछड़े प्रदर्श पी. 08 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि बछड़े किससे जप्त किए थे उसे पता नहीं है।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 06 कमलसिंह व पी.डब्ल्यू. 07 रामसिंह है जिन्हें न्यायालय में परीक्षित होने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिन्होंने एक स्वर में कथन किया है कि उनके पुलिस में बयान नहीं हुए। प्रदर्श पी. 05 पर उनके हस्ताक्षर पुलिस वालों ने खाली कागज पर कराए थे किस बात के कराए थे उन्हें पता नहीं है।

16- इस प्रकार प्रकरण में जप्ती से संबंधित कोई भी स्वतंत्र किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा नहीं बनाया गया हे। जप्ती से संबंधित सभी गवाहान पुलिसकर्मी है। सभी गवाह ने स्वीकार किया हे कि उन्होंने स्वतंत्र गवाह नहीं बुलाए थे। इसके अतिरिक्त प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। फर्द शुद्धिकरण प्रदर्श पी. 05 के गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। प्रकरण के चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी गोवंश के जाहिरा चोट नहीं थी एवं फर्द जप्ती से संबंधित गवाहान ने स्वीकार किया है कि पिकअप में भरे हुए बछड़ों को अपने घर खेतीबाड़ी के काम हेतु ले जा रहा हो तो वे नहीं बता सकते। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं होता है।

17- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने से अभियुक्त आरोपित अपराध धारा धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

18- अतः अभियुक्त कमलसिंह पुत्र रंगलाल, निवासी-देहरा, पुलिस थाना राजगढ़ जिला राजगढ़ एमपी को धारा धारा 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 व धारा 420, 481, 483 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

19- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं0प्र0सं0 के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

20- निर्णय आज दिनांक 13-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़(राज.)

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. III
"Authenticate Document"

RAJARAM MEENA

Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.13 04:29:47 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।